

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम - वैर (भरतपुर)

निहालसिंह

बनाम

लक्षमन

किस्म मुकदमा - दावा अन्तर्गतधारा 53,188 आर.टी.एक्ट

53/24 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.05.2024	वादी वकील श्री मानसिंह द्वारा दावा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को रजि० ए.डी. सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.06.2024 को पेश हो।	
20.6.24	वकील वादी 340 / अप्रतिवादी की तामील होकर दावा नहीं वाइन्तज्या रजि० ए.डी. पत्रावली कि 18.7.24 को पेश हो।	
30.7.24	वकील वादी के प्रार्थन-पत्र पर पत्रा० डाक पेश हुई। जिससे बताया है कि वकील वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता है। नोटिस में खारिज कराना चाहता है। वकील वादी द्वारा दावा Notpress किम गमन। अतः दावा वादी Notpress के खारिज किम जाता है।	Notpress

FORM No- III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उच्च अदालत - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
निहालसिंह
दिल्ल मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 212 आर.टी.एक्ट

बनाम

मुकाम - वैर (भरतपुर)

लक्ष्मन

नं० 53 सन् 2024

तारीख दिनांक	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.05.2024	<p>प्रार्थी वकील श्री मानसिंह द्वारा प्रार्थना- पत्र अन्तर्गतधारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस उम्र से जारी की जाती है कि वे विवादित आ० ख० नं० 445/0.18, 446/545/0.02, 447/0.21, 448/0.22, 449/0.19, 450/0.60, 452/0.88 हैक्टेयर वाके ग्राम विचपुरी पट्टी वैर, तहसील वैर, में प्रतिवादीगण को आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। । यदि इस आज्ञा बावत् कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 20.06.2024 को उपस्थित होकर न्यायालय में पेश करें।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि० एडी नोटिस से तलब किया जावे एवं सी.पी.सी. की धारा 39 नियम 3 की पालना कराई जावे। पत्रावली दिनांक 20.06.2024 को पेश हो।</p>	
20.6.24	<p>वकील प्रार्थी (340) अज्ञात जज की रजि० अद. जाल नसी वाइलजाल रजि० अद. पत्रावली अ० 18-9-24 को पेश हो।</p>	
30.7.24	<p>वकील प्रार्थी के प्रार्थन-पत्र पर पत्र० आज पेश हुई। जितने बताया है कि वकील प्रार्थी अपने प्रार्थन-पत्र को आगे नहीं चलाकर चढाता है। नोटिस के श्वारिज कराने चढाता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थन-पत्र Notpress किया जाय। अतः प्रार्थन-पत्र Notpress है श्वारिज किया जाता है।</p>	<p>Not Press</p>